

# संशोधित नियमवली

1. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
2. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
3. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
4. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
5. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र



...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

- 1. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
- 2. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
- 3. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
- 4. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र
- 5. संसद का सत्र - संसद का प्रत्येक सत्र सत्र

...  
...  
...  
...  
...



3-समाज के विकास एवं विकासशील-संस्थाओं की समर्थन एवं सेवा के कार्य करना होगा।

**उत्तरदायित्व** - समाजिक कार्य के माध्यम से समाज के विकास को बढ़ावा देने का है।

**3-समाजिककार्यों के अधिकतम एम केटीया-**

**1-समाज**


- 1-समाज की सेवा के माध्यम समाज की स्थिति को सुधारा देना।
- 2-समाज के विकास के माध्यम समाज के विकास को बढ़ावा देने के कार्य करना।
- 3-समाज की समस्याओं को पहचानने के माध्यम समाज को अधिक बेहतर बनाने का कार्य करना।

**2-समाज**

समाज की सुधारा के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।

**3-समाज**

- 1-समाज की सेवा के माध्यम समाज को सुधारा देने के कार्य करना।
- 2-समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।
- 3-समाज की सेवा के माध्यम समाज को सुधारा देने के कार्य करना।
- 4-समाज की सेवा के माध्यम समाज को सुधारा देने के कार्य करना।
- 5-समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।
- 6-समाज की सुधारा के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।
- 7-समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।
- 8-समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।



**4-समाज**

समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।

**5-समाज**

- 1-समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।
- 2-समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।
- 3-समाज के विकास के माध्यम समाज को बेहतर बनाने का कार्य करना।

*[Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.]*

*[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner.]*

**संख्या ३ दिवसीय विनिर्देशों में सरकारी प्रक्रिया**

संख्या ३ दिवसीय विनिर्देशों में सरकारी प्रक्रिया, विशेषकर सरकारी प्रक्रियाओं की प्रणाली का अद्ययावत बनाना का उद्देश्य है।

संख्या ३ दिवसीय विनिर्देशों में सरकारी प्रक्रिया का अर्थ है सरकारी प्रक्रियाओं की प्रणाली का अद्ययावत बनाना।

संख्या ३ दिवसीय विनिर्देशों में सरकारी प्रक्रिया का अर्थ है सरकारी प्रक्रियाओं की प्रणाली का अद्ययावत बनाना।

संख्या ३ दिवसीय विनिर्देशों में सरकारी प्रक्रिया का अर्थ है सरकारी प्रक्रियाओं की प्रणाली का अद्ययावत बनाना।

- १- सरकारी प्रक्रिया
- २- सरकारी प्रक्रिया
- ३- सरकारी प्रक्रिया
- ४- सरकारी प्रक्रिया



संख्या ३ दिवसीय विनिर्देशों में सरकारी प्रक्रिया का अर्थ है सरकारी प्रक्रियाओं की प्रणाली का अद्ययावत बनाना।

**सत्यमेव जयते**

दिनांक- २५/६/२०२०

सरकार  
केन्द्र सरकार

सरकार

सरकार

सरकार

सरकार